

कार्यालय :- जिला यक्ष्मा पदाधिकारी, जिला यक्ष्मा केन्द्र, गोपालगंज ।

ज्ञापांक 474 / गोपालगंज, दिनांक 25/11/2016


दिनांक 25/07/2016 को समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन सं० पी.आर.-4284 (नि.नि.) 16-17 के द्वारा वरीय चिकित्सा पर्यवेक्षक (एस०टी०एस०) के रिक्त पदों पर संविदा आधारित नियुक्ति हेतु कुल 80 (अस्सी) आवेदन पत्रों को चयन समिति के समक्ष दिनांक 16/11/2016 को खोला गया जिसमें कुल 32 (बतीस) आवेदन पत्रों को चयन समिति के द्वारा निरस्त किया गया जिसकी विवरणी निम्नवत् है :-

क्र०	अभ्यर्थी का नाम	पूरा पता	आवेदन निरस्त होने का कारण
01	सविता कुमारी	5/6 उपेन्द्र कुमार, थ्रा० मलिक टोला, पो० कैलगढ़ सिवान	चालक अनुज्ञप्ति लर्निंग होने के कारण
02	माला कुमारी	5/7 अनिकेत कुमार, थ्रा० डुमरसन, पो० डुमरसन बंगरा, मशरक सारण	चालक अनुज्ञप्ति लर्निंग होने के कारण
03	प्रदीप कुमार पासवान	5/8 लखन लाल पासवान, थ्रा० चक परोरा, पो० परोरा, पुर्णिया	मैट्रीक, इंटर, स्नातक, चालक अनुज्ञप्ति, कम्प्यूटर संलग्न नहीं है।
04	शैलेन्द्र राम	5/9 शंकर राम, थ्राम० मोहनपुर, पो० बघेजी, गोपालगंज	चालक अनुज्ञप्ति संलग्न नहीं है।
05	मंजू कुमारी	5/10 चन्द्र प्रकाश गुप्ता, थ्रा०+पो० मगुरहाँ, पु० चम्पारण	चालक अनुज्ञप्ति संलग्न नहीं है।
06	रजनी शर्मा	5/11 प्रकाश चन्द्र शर्मा, थ्रा० लघी, पो० सरारी लघी, गोरेयाकोठी, सिवान	चालक अनुज्ञप्ति संलग्न नहीं है।
07	कृष्णा जी	5/12 शंशु शरण प्रसाद, थ्रा० दौलतगंज, छपरा	चालक अनुज्ञप्ति संलग्न नहीं है।
08	अवध किशोर प्रसाद	5/13 रामम प्रवेश प्रसाद, थ्राम जगदीशपुर, पो० सानी बसन्तपुर, सिवान	चालक अनुज्ञप्ति संलग्न नहीं है।
09	मनोज कुमार ठाकुर	5/14 सिद्धेश्वर बैठा, थ्रा० धरमपुर, पो० डुमरकोला, जमुई	कम्प्यूटर साक्षरता प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं है।
10	विद्या प्रसाद	5/15 रामनाथ प्रसाद, थ्रा० तुलसिया, साख्रे,	चालक अनुज्ञप्ति संलग्न नहीं है।

		गोपालगंज	
11	चंचल कुमारी	41/ संरविन्द कुमार तिवारी ग्रा0 लकडी, पो0 लकडी दरगाह, सिवान	चालक अनुज्ञप्ति संलग्न नहीं है।
12	आशा देवी	42/ सतीश कुमार राय, ग्रा0 बंगरा, गोपालगंज	चालक अनुज्ञप्ति संलग्न नहीं है।
13	संगीता राय	47/ विशाल राय, राय भवन रजीस्ट्री कचहरी के दक्षिण, गोपालगंज।	इंटर का अंकपत्र, चालक अनुज्ञप्ति एवं कम्प्यूटर साक्षरता प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं है।
14	नीधी कुमारी	49/ शैलेन्द्र कुमार, ग्रा0+पो0 माडी, नालन्दा	चालक अनुज्ञप्ति संलग्न नहीं है।
15	संजय कुमार	50/ हरि प्रसाद, ग्रा0+पो0 विष्णुपुरबधुआ, समस्तीपुर	चालक अनुज्ञप्ति संलग्न नहीं है।
16	राजेश यादव	51/ वालिमकी राउत, ग्रा0+पो0 शुकुलवाँ खुर्द, गोपालगंज।	स्नातक एवं कम्प्यूटर साक्षरता प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं है।
17	अमलेश कुमार	52/ राजेश्वर मिश्रा, ग्रा0 बैदवली, पो0 अमवा नकछेद, गोपालगंज।	मैट्रिक, इंटर, कम्प्यूटर एवं चालक अनुज्ञप्ति संलग्न नहीं है।
18	प्रदीप कुमार	53/ भरत प्रसाद, ग्रा0 मुरारपुर, पो0 कतारी, शेखपुरा	चालक अनुज्ञप्ति संलग्न नहीं है।
19	अभिषेक प्रसाद	54/ सुरेश राम, ग्रा0 राजीव नगर, विष्णुपुर, बेगूसराय	चालक अनुज्ञप्ति लर्निंग है।
20	निशांत कुमार	55/ विजय कुमार दास, विद्यापुरी, कंकड़बाग, पटना	कम्प्यूटर साक्षर प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं है।
21	मुकेश कुमार द्विवेदी	56/ संजय द्विवेदी, ग्रा0 पीपरपांती, पो0 ताली, सिवान	कम्प्यूटर साक्षर प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं है।
22	सुमीत कुमार सिंह	57/ लालन सिंह, ग्रा0 बसादी पो0 शुभकुल नेहिया, सारण	चालक अनुज्ञप्ति लर्निंग है।
23	किरण कुमारी	58/ विकाश कुमार, ग्रा0 धनौती, वार्ड 13, कटेयाँ, गोपालगंज	चालक अनुज्ञप्ति लर्निंग है।

24	शैलेश कुमार सिंह	४७० रामेश्वर सिंह, ब्रा०+पो० टेकनवास, गोपालगंज	कम्प्यूटर साक्षरता प्रामाण-पत्र संलग्न नहीं है।
25	सत्य विजय सिंह	४७० श्रीराम सिंह, ब्रा० सनाह माधो, पो० रतनपुरा, उचकागाँव, गोपालगंज	कम्प्यूटर साक्षरता प्रामाण-पत्र संलग्न नहीं है।
26	मनीष कुमार	४७० हृदया प्रसाद, बघोजी, बरौली, गोपालगंज	चालक अनुज्ञप्ति संलग्न नहीं है।
27	अरविन्द कुमार रंजन	४७० इन्द्रजीत प्रसाद, बघोजी, बरौली, गोपालगंज	चालक अनुज्ञप्ति संलग्न नहीं है।
28	शहजाद अली	४७० ए० अबुल हसन, मीरापुर, नथुछाप, सिवान	चालक अनुज्ञप्ति संलग्न नहीं है।
29	राजन कुमार सिंह	४७० बीरेन्द्र सिंह, देवदी पुरब, तरैया, छपरा	चालक अनुज्ञप्ति संलग्न नहीं है।
30	मनीष कुमार	४७० हृदया प्रसाद, बघोजी, बरौली, गोपालगंज	चालक अनुज्ञप्ति संलग्न नहीं है।
31	सविता कुमारी	४७० प्रदीप कुमार, नरईनियाँ मीरगंज, गोपालगंज।	चालक अनुज्ञप्ति लर्निंग है।
32	रुचि कुमारी	४७० प्रमोद कुमार, माण्डी, वेन, नालन्दा	चालक अनुज्ञप्ति संलग्न नहीं है।

उपरोक्त विवरणी के अनुसार सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि जिन अभ्यर्थियों को उपरोक्त विवरणी में वर्णित किसी भी प्रकार की आपत्ति हो तो अपना आपत्ति प्रकाशत की तिथि से सात दिनों के अंदर जिला यक्ष्मा पदाधिकारी, जिला यक्ष्मा केन्द्र, गोपालगंज के कार्यालय में दर्ज करा सकते हैं। सात दिनों के बाद किसी प्रकार के अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।


 जिला यक्ष्मा पदाधिकारी
 गोपालगंज।